फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :– **श्री देवीलाल** | विपक्षी :– **श्री राजेन्द्र**
किस्म मुकदमा :– 53, 188 आरटीएक्ट | पत्रावली संख्या :– 42/20
जीसीएमएस नम्बर :– 2020/00086

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 08.12.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट पेश की गई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 11.11.21 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई थी। प्रारम्भिक डिक्री अनुसार पालना हेतु तहसीलदार को लिखा गया। तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया की हाल जमाबंदी अनुसार वादी वादग्रस्त भूमि में खातेदार नही होने से प्रारम्भिक डिक्री की पालना किया जाना सम्भव नही है। न्यायालय द्वारा तहसीलदार घासा द्वारा प्रस्तुत ग्राम खेडीघासा पटवार हल्का धोलीमगरी तहसील घासा की हाल नकल जमाबंदी 2077–80 के खाता संख्या 69 पर दर्ज आराजी नम्बर 274 रकबा 0.2752 का अवलोकन करने से जाहीर आया की खातेदार के रूप में वादी का नाम जमाबंदी में दर्ज नही है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि में वादी खातेदार ही नही रहा एवं अपने हक हिस्से का स्थानान्तरण किसी अन्य के पक्ष में कर दिया गया है। ऐसे में वादी को वर्तमान में बंटवाड़ा करवाने का कोई अधिकार नही है। क्योंकि वाद के विचाराधीन रहते हुए वादी स्वयं द्वारा अपने हक हिस्सो का स्थानान्तरण किया गया है। अब इस वाद पत्र को आगे चलाने का कोई औचित्य नही है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार वाद वादी इसी स्तर पर ड्रोप किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। **(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)** **सहायक कलक्टर** **(SDO) मावली**	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:22:56 IST
Reason: SelfAttested